



90-8-16  
 90/8/16  
 90/8/16  
 90/8/16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
 05AA 977709  
 90/8/16  
 90/8/16  
 90/8/16  
 90/8/16



90/8/16



1. संस्था का पता - श्रीराज इंस्टीट्यूट ऑफ़ जेनेरेशन एण्ड सोशल बेनेफिट स्टडीज
2. संस्था का पता - ग्राम-नाला नौकटा, पोस्ट-दीखनारा, जनपद-फिरोजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।
4. संस्था का उद्देश्य -

1. संस्था का उद्देश्य मानव कल्याणार्थ समाज उत्थान, शिक्षा प्रदान करना, ग्रामोद्योग, बाल विकास व महिला कल्याण हेतु कार्य करना।

2. संस्था का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त विकास हेतु कार्यक्षेत्र में नर्सरी स्तर से प्राइमरी, प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल व जूनियर हाई स्कूल से इण्टरमीडिएट तक के विद्यालय व महाविद्यालयों की स्थापना करना व एन0 ओ0 ए0 की शिक्षा प्रदान करना।

3. संस्था का उद्देश्य कन्या विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का संचालन करना व पौष्टिक शिक्षा व साक्षरता अभियान चलाना, हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान व उर्दू आदि शिक्षा का परिशिष्ट देना, शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा टाईपिंग, कंप्यूटर आदि एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर उन्हें स्थापना एवं आत्म निर्भर बनाना।

4. संस्था का उद्देश्य निधन, अनाथ, अपंग बच्चों के लिए ~~विशेष~~ शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उनकी संधिधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीडा केंद्रों, व्यायामशाला एवं/विकल्पित की स्थापना करना।

5. संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें नि:शुल्क तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण-परिशिष्ट देकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना।

6. परीक्षा में कमीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा प्राणिक योजना व राज्य विकास में सहयोग करना।

7. संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षण शिविरों, राहत शिविरों, जन जागरण शिविरों, कला प्रदर्शनों का आयोजन करना तथा पौष्टिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, वाण श्रम उत्थान कार्यक्रम, गर्दीकी उत्थान, माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश के लिये भस्मक प्रयास करना।

8. नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जागृत करना एवं विज्ञान पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश के लिये भस्मक प्रयास करना।

9. संस्था का उद्देश्य जनसहयोग के लिए सस्कारी, अर्द्धसस्कारी ~~वैकल्पिक~~ कार्य करना।

10. विकलांगों के उपचार हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



90-8-16

Handwritten notes and stamps at the top right.

कार्यक्रम आदि को विचारित करना व उन्हें संचालित करना।  
एवं साक्षरता कार्यक्रमों, प्रौद्योगिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, नशावर्ती उन्मूलन  
संस्था का उद्देश्य कार्यक्रम में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनी  
परम लागू करना एवं पानी की टंकी का निर्माण करना।

Handwritten notes.

17. पंचाल समस्त्यों को दूर करने एवं शक्ति पंचाल की व्यवस्था हेतु जगह-जगह हेतु  
संचालन करना।  
6. संस्था का उद्देश्य अन्य संस्थाओं के कल्याण हेतु विद्यार्थियों की सहायता एवं उनका  
जानकारी विविधों का आयोजन करना।

Handwritten notes.

कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर  
एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रम आदि की चलाना व उनके  
एवं महिला वस्त्रियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिक्षा, पोषण, महिला  
15. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों  
इकाईयों की स्थापना करना, चलाना एवं ग्रामीणों की बस्तीयों का उत्पादन करना।



14. 30X0 शहरी ग्रामीण बौद्ध/खारी ग्रामीण आयु के वित्तीय सहायता से ग्रामीणों  
को सहायता, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था  
सामुदायिक केंद्रों, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, वि. शक्ति  
संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु  
समाजों का आयोजन करना पर्यावरण के प्रति लोगों में जनचेतना पैदा करना।

Handwritten notes.

13. प्रति लोगों में जनजागृति पैदा करना एवं उसके लिए विविधों, गतिविधियों, अभिनय,  
को सरकारी सहायता से उद्वेक बनाने का प्रयास करने के साथ-साथ पर्यावरण के  
संगठनों के माध्यम से सघन वृक्षारोपण कर वनीकरण को बढ़ावा देना तथा ऊसर भूमि  
कराना, पौधशाला की स्थापना करना, खाली भूमि पर सरकार तथा अन्य  
12. पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण  
सर्वांगीण विकास करना।

Handwritten notes.

11. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार के  
संबन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, युवाशक्ति,  
रहको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपट, काई, सिपा, नार्ड, आर्ड,  
कल्याण एवं बाल कल्याण निधि, महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र  
द्विप मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सहायकार  
बौद्ध, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राजीव गांधी फाउन्डेशन, विश्व  
स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहायता से बलाई  
जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों का



908-18  
 215 कोमल 1944

मन्त्रालय  
 25.1.56  
 श्री 10/1/56

श्री 10/1/56  
 श्री 10/1/56  
 श्री 10/1/56

कम	श्री 10/1/56	श्री 10/1/56	श्री 10/1/56	श्री 10/1/56
1-	कमला देवी पुत्री	पद्मिनी कल्याण, श्रीगुली	श्रीगुली	श्रीगुली
2-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
3-	श्री राजकमल यादव पुत्र	श्री राजकमल यादव पुत्र	श्रीगुली	श्रीगुली
4-	श्री वन्दना सिंह यादव	श्री वन्दना सिंह यादव	श्रीगुली	श्रीगुली
5-	श्री सुदामा सिंह	श्री सुदामा सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
6-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
7-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
8-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
9-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
10-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली
11-	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीमती श्रीमती सिंह	श्रीगुली	श्रीगुली

श्री 10/1/56  
 श्री 10/1/56  
 श्री 10/1/56



Handwritten note at top right.

भाष्य से दी जायेगी।  
बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किस्से भी उपलब्ध या पर्याप्त  
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष

9-1-906  
Handwritten notes and signatures.

आवधि:-

सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जायेगी।

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कमी भी आवश्यकता अनुसार

बैठक:-

जायेगी।

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलकर किया

गठन:-

1. साधारण सभा

7. संस्था के अंग - 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारी समिति

7. आचरण भूष होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।

6. न्यायलय द्वारा दण्डित होने पर।

5. सभा पत्र दिखे जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर।

4. किस्से सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर

अनुपस्थित होने पर।

3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किस्से कारण बताये

2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।

1. सदस्य की मृत्यु होने, पगाल या दिवालिया घोषित होने पर।

6. सदस्यता की समाप्ति:-

शुल्क या चन्दे के रूप में दिया करने व सज्जन इस संस्था के साधारण सदस्य होंगे।

2. साधारण सदस्य:- जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 25/- रूपये सदस्यता

चल समर्पित करें वह सज्जन इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अवल या

1. आजीवन सदस्य:- जो सज्जन इस संस्था को एक मूल्य 100/- रूपये दान

संस्था के सदस्य निम्न वर्ग के होंगे -

निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दे देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे।

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते हों

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

4. संस्था के उद्देश्य - संस्थित पत्र के अनुसार होंगे।

3. संस्था का कार्याक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

2. संस्था का पता - ग्राम-नाला नौकटा, पोस्ट-दाखनारा, जनपद-फिरोजाबाद

1. संस्था का पता - श्रीधरल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड सोशल बैलेंस (2/11/1972)

निर्देशिका



Handwritten signatures and notes on the right side.





करना एवं उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।  
संस्था के प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को

उपबन्धक/उपसचिव:-

उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो करना।  
संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के  
विल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

6. संस्था के समस्त दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, बैंकों ड्राफ्टों वंधक विलेखों  
समक्ष प्रस्तुत करना।

उनकी सेवा के नियम बनाकर आदि कार्यावाही कर अनुरोधन हेतु अध्यक्ष के  
सेवा शर्तों के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व ऊपका भुगतान करना,  
कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना एवं उनकी  
संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं  
अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यावाही की शैली करना एवं  
संस्थाता शृङ्खल प्राप्त करना।

3. संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, वंदा व  
संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना।  
सूचना सत्रों तक पहुँचाना भीटिंग कार्यावाही लिखना।

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का प्रचार करना, भीटिंग चलाना व उसकी

प्रबन्धक/सचिव:-

सहयोग देना।  
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना। उपस्थिति में कार्यों में

उपअध्यक्ष:-

2. अध्यक्षता करना।

1. अध्यक्ष:- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति, साधारण सभा की समस्त बैठकों की

8. प्रशासिकारिणों के अधिकार व कर्तव्य:-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

कार्यकाल:-

वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

4. संस्था के विकास हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार, समान कल्याण बोर्ड एवं अन्य  
संस्थानों, निकायों के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों,  
निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, वंदा, एवं बैंक आदि से ऋण एवं  
करवाना।

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

21-8-06

संस्था के प्रबन्धक/सचिव

संस्था के अध्यक्ष

संस्था के उपबन्धक/उपसचिव

श्री

श्री

Madhav Kelkar

Madhav



K. Kelkar



21/11/2014

Maha Yashwantrao Chavan Pratishthan

25.1.06  
2014-15  
2014-15  
2014-15

श्री

(K. Yashwantrao)

दिनांक- 25.1.06

सत्यमेव जयते

यदि दृष्टान्तवशा संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सीसाए रजि० अधिन० की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

14. संस्था का विघटन-

1. सदस्यता रजिस्ट्र
2. कार्यवाही रजिस्ट्र
3. एजेंडा रजिस्ट्र
4. स्टॉक रजिस्ट्र
5. कक्षा बुक आदि

13. संस्था के आभिलेख-

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन की प्रती प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

उदाहरणार्थ-

12. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का

द्वारा किया जायेगा।

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्त पर किस्सी योग्य आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

11. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिटर)

किया जायेगा।

प्रबन्धक/सचिव का कोषाख्यक्ष व सचिवक हस्ताक्षर द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था का कोष किस्सी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा। जिसका संचालन

10. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करेगा।

9. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया-

प्रतिवर्ष संस्था के आय-व्यय को सत्र समाप्त पर आडिटर करेगा।

6. आडिटर:-

वाउचरों का भुगतान करेगा।

2. संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को करेगा व बिल

1. संस्था के लेखा-जोखा का विवरण को रखेगा।

5. कोषाख्यक्ष:-



सोसाइटी के राजस्व  
उत्तर प्रदेश

जायी करने का दिनांक .....  
25-02-2016


1000 ..... रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

03-02-2016 ..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

दिये गये राजस्वीकरण प्रमाण-पत्र ..... दिनांक ..... को दिनांक  
2110/2005-06 03-02-2006

एच सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, गंगो नगला चौकटा धांठो दखिनारा जि० फिरोजाबाद।  
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ..... अधिराज इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन  
को

नवीकरण संख्या 2803 पञ्चावली संख्या एजी-40964 दिनांक 2005-2006



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र ( अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

संख्या 8308

दिनांक 27-2-16

नियम 8 (2) देखिये

पृष्ठ - 9

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक ..... 002801